

संख्या—३४२ / ९—१—१२—२०३ सा / १०

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१. समर्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
२. समर्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
३. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग—१

०१ अगस्त
लखनऊ: दिनांक: जुलाई, 2012

विषय: नगरीय स्थानीय निकायों में अनियमित ढंग से नियुक्त संविदा कर्मियों
की सेवाएं समाप्त किया जाना।

महोदय,

प्रदेश की नागर निकायों में अनियमित एवं मनमाने ढंग से रखे गये
संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने विषयक शासनादेश संख्या—१०४ म.न.
वि / ९—१—१२—२०३ सा / १०, दिनांक २३ जुलाई, २०१२ के सन्दर्भ में मुझे यह
स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश, नियमानुसार संविदा पर
रखे गये सफाई कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

२. शासनादेश दिनांक २३ जुलाई, २०१२ उक्त सीमा तक संशोधित समझा
जाय।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या—३४२ (१) / ९—१—२०१२, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

१. समर्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
२. समर्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, उ.प्र. द्वारा
जिलाधिकारी।
३. गार्ड बुक।
४. वैक माटूर

आज्ञा से,,

३१/८/२०१२
(श्री प्रकाश सिंह)

विशेष सचिव।